कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www. tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

कमांक / 01 / ज.उ.यो. / 2026–27 / 86 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/04/2026

वर्ष 2026–27 के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थानों के इम्पैनलमेंट हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का आमंत्रण

—00—

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, नई सोच के साथ बेहतर कैरियर चयन का अवसर प्रदान करने, प्रतिस्पर्धी बनाने तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित '' जवाहर उत्कर्ष योजना (यथा संशोधित 2021)'' संचालित है, जो संशोधन हेतु प्रकियाधीन है, जिसका अंतिम रूप के आधार पर योजना के प्रावधान लागू एवं मान्य होंगे।

योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित CBSE/ICSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी प्रतिष्ठित आवासीय शालाओं (शाला एवं छात्रावास आदि एक ही परिसर में स्थित हो) में से विद्यालयों का चयन किया जाना है। विभाग द्वारा चयनित एवं इम्पैनल्ड विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के 130 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 70 विद्यार्थियों को कुल मिलाकर अधिकतम 200 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जायेगा।

संस्थाओं के चयन हेतु तय किये गये मापदण्ड विभागीय बेवसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जहाॅ से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है।

ऐसी इच्छुक संस्थाएं जो योजना नियम के प्रावधानों के अनुसार पात्रता रखती है, उनसे ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (Expression of interest) अंतर्गत प्रस्ताव आंमत्रित है।

(1) आवेदन शुल्क :– आवेदन शुल्क रू. 1000/– है। यह शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पक्ष में अभिव्यक्ति की रूचि के प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में ''रूचि की अभिव्यक्ति'' (EOI) के प्रस्ताव के साथ जमा करना होगा।

(2) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' को जमा किया जाना :– संस्था निर्धारित प्रपत्र में अपना ''रूचि की अभिव्यक्ति'' को संस्था/आवासीय विद्यालय जिस जिलें में स्थित है, उस जिलें के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में पंजीकृत डाक से/ई–मेल से/ व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकेगा।

(3) ''रूचि की अभिव्यक्ति'' जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 23.04.2026 अपरान्ह 5.00 बजे।

(4) आवेदन की विधि :– संस्था के चयन हेतु संस्थाओं के लिए आवश्यक निर्धारित मापदण्ड एवं ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का प्रारूप विभागीय बेवसाईट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जहाॅ से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में अपने संस्था की जानकारी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील लगाकर प्रमाणित करने के उपरांत बुक बाईडिंग कराकर एक बड़े लिफाफे में संबंधित जिला सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला................ को अंतिम तिथि एवं समय तक भेजा जाना है। **लिफाफे के ऊपर विभाग का नाम............. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा योजना का नाम– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना अंतर्गत आवेदन वर्ष 2026–27 लिखना अनिवार्य होगा।**

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को आवासीय अध्ययन सुविधा प्रदान कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं के इम्पैनलमेंट हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' वर्ष 2026–27

––00––

टीप :– कृपया प्रस्ताव के साथ एवं इसकी जानकारी के पुष्टि हेतु अभिलेखों पर सील सहित हस्ताक्षर कर बुक बाईन्ड कराकर प्रस्तुत किया जावे। प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ क्रमांक अंकित करे।

भाग–अ (संस्था का परिचय)

1. (अ) शैक्षणिक संस्था का नाम : ....
   (ब) संस्था का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष : ....
2. शैक्षणिक संस्था किस समिति/फर्म/कंपनी के अंतर्गत संचालित है :–
   (अ) (समिति/फर्म/कंपनी का नाम) : ....
   : ....
   (ब) समिति/फर्म/कंपनी के कार्यालय का पूर्ण पता : ....
   : ....
   (स) दूरभाष : ....
3. (अ) समिति, किस एक्ट के तहत् पंजीकृत है : ....
   (ब) समिति, का जीवित पंजीयन क्रमांक : ....
   (स) समिति, का वैद्यता दिनांक : ....
   (द) समिति, के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....
   (इ) समिति, के अंतिम बैठक की आम सथा का दिनांक : ....
   (फ) समिति, के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष/संचालक सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर सहित : ....
4. शैक्षणिक संस्था किस स्तर तक संचालित है (प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी) : ....
5. शैक्षणिक संस्था के स्थापना का प्रारंभ वर्ष : ....
6. संस्था में लागू पाठ्यक्रम (मान्यता कब से कब तक है) प्रति संलग्न करे :

सी.बी.एस.ई.	आई.सी.एस.ई.

7. संबंधित बोर्ड के नवीनतम मान्यता का प्रमाण पत्र
8. अध्ययन का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी : ....
9. शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या (विगत चार वर्षो का) (वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26)

क्र.	कक्षा	कुल प्रवेशित संख्या				
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	योग
1	1–5					
2	6–8					
3	9–10					
4	11–12					
योग						

Scanned with CamScanner

भाग – ब (संस्था के अधोसंरचना एवं सुविधाओं की जानकारी)

1. संस्था के भवन संबंधी जानकारी :–

क	विवरण		पृष्ठ क
(i)	संस्था की भूमि एवं भवन समिति के नाम से है अथवा नहीं:	....	
(ii)	शैक्षणिक संस्था कुल कितने एकड़ भूमि में संचालित है	:	
(iii)	निर्मित भवन का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है	:	
(iv)	किस–किस खेल हेतु मानक खेल मैदान है	:	
(v)	खेल सुविधाएं अंतर्गत क्या सुविधा है	:	
(vi)	शाला में पुस्तकालय कितने वर्गमीटर में निर्मित है	:	
(vii)	पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितनी है	:	
(viii)	शैक्षणिक संस्था के परिसर में स्कूल भवन के साथ बालक एवं बालिका छात्रावास भवन पृथक–पृथक है या नहीं	:	
(ix)	यदि छात्रावास/भवन है, तो दोनों छात्रावास कितने वर्गमीटर में निर्मित है	:	
(x)	दोनों छात्रावास भवन कितने सीट क्षमता का है	:	
(xi)	छात्रावासों में कौन–कौन सी सुविधाएं है (पलंग, बिस्तर, मच्छरदानी, विद्युत, स्वच्छ जल ऑरओ सिस्टम, कूलर, पंखा, मेस, रसोई आदि)	:	
(xii)	बालक छात्रावास में उपलब्ध स्टॉफ का विवरण	:	
(xiii)	बालिका छात्रावास में उपलब्ध स्टॉफ महिला अधीक्षिका, महिला सुरक्षा गार्ड एवं महिला कर्मचारी) का विवरण	:	
(xiv)	विद्यालय/छात्रावासों के अंतर्गत अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्था का विवरण	:	
(xv)	क्या विद्यालय एवं छात्रावास भवन दिव्यांग वर्ग के अनुकूल है अथवा नहीं (यदि हां तो किन प्रकार की सुविधा है)	:	
(xvi)	बालक छात्रावास में शयनकक्ष, डायनिंग हॉल, शौचालय, एवं स्नानागार की सुविधा की उपलब्धता (संख्या एवं सुविधा)	:	
(xvii)	बालिका छात्रावास में शयनकक्ष, डायनिंग हॉल, शौचालय, एवं स्नानागार की सुविधा की उपलब्धता (संख्या एवं सुविधा)	:	
(xviii)	अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाएं जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सहायक हो का विवरण	:	

2. **कम्प्यूटर व्यवस्था/डिजिटल क्लास रूम :–**

(अ)	डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का आकार (वर्ग मीटर में)	: ....
(ब)	डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम की संख्या	: ....
(स)	अद्यतन मॉडल के डेस्कटॉप कम्प्यूटर की संख्या	: ....
(द)	प्रोजेक्टर	: ....
(इ)	इंटरनेट की व्यवस्था	: ....
(फ)	पाठ्य सामग्रियों की सी.डी. की उपलब्धता	: ....

3. **स्वास्थ्य सुविधा :–** इस हेतु शाला एवं छात्रावास हेतु अनुबंधित चिकित्सक का नाम, योग्यता आदि का विवरण एवं अनुबंध प्रमाण पत्र संलग्न करें।

Scanned with CamScanner

4. **विशेष कोचिंग :–** छात्रावासी विद्यार्थियों को क्लास रूम के अलावा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हेतु इवनिंग क्लास की उपलब्धता है या नहीं। यदि है तो टाईमटेबल तथा फोटोग्राफ।

5. **भोजन व्यवस्था :–** छात्र/छात्राओं को सुबह एवं शाम को नश्ता, जिसमें मौसमी फल एवं एक गिलास दूध का समावेश हो, अनिवार्यतः दिया जावे। दिन में 02 बार भोजन, जिसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, पनीर, अचार, सलाद, पापड़ एवं स्वीट्स आदि का समावेश हो, दिया जावें। भोजन विविधा युक्त सुरूचिपूर्ण, सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावें कि भोजन संबंधी सामग्री गुणवत्तापूर्ण हो। **(संचालित व्यवस्था का फोटोग्राफ्स संलग्न करें)**

6. **फैकल्टी का विवरण :–** सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यक्रम के मापदंड अनुसार शिक्षक एवं शिक्षण की व्यवस्था, विषय–विशेषज्ञ, कैरियर/प्रोफेशनल काउंसिलिंग की सुविधा साथ पृथक से संगीत शिक्षका हो, की व्यवस्था के संबंध में जानकारी, जो के पे–रोल पर दर्ज हो (संलग्न करें)

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	अनुभव	किस कक्षा का अध्यापन कराते है
1	2	3	4	5

7. **संस्था का परीक्षा परिणाम :–** विगत 03 वर्षो का

वर्ष	कक्षा	कुल दर्ज संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	कुल परीक्षा परिणाम (प्रतिशत में)	परीक्षा परिणाम (संख्यात्मक जानकारी दे)		
					80% से 90% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	90% से उपर एवं 95% अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	95% से उपर तथा 100% अंक तक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या
वर्ष 2022–23	10वीं						
	12वीं						
वर्ष 2023–24	10वीं						
	12वीं						
वर्ष 2024–25	10वीं						
	12वीं						

8. **राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों, परीक्षा में उपलब्धि का विवरण** (संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या	अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3	4
1	ओलंपियार्ड		
2	विज्ञान पहेली		
3	इंस्पायर्ड योजना		
4	जे.ई.ई. मेन		
5	जे.ई.ई. एडवांस		
6	नीट		
7	क्लैट		
8	सी.ए.–सी.पी.टी.		
9	अन्य प्रतियोगी परीक्षा		

(उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था विद्यालयों में पृथक से होना चाहिए एवं ओलंपियार्ड, विज्ञान पहेली, जेईई (मेंन/एडवांस), नीट, सीए, क्लैट आदि के विद्यार्थियों की सफलता हेतु संस्था में कैरियर कांउसलिंग/प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था तथा इन प्रतियोगिता में संस्था के विद्यार्थियों द्वारा किया गया प्रदर्शन आदि पर प्रगति एवं टीप तथा सफल विद्यार्थियों का विवरण एवं फोटोग्राफ्स संलग्न करें।)

Scanned with CamScanner

9. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सह संज्ञानात्मक गतिविधियों (जैसे खेल, भाषण, निबंध, वाद–विवाद, नृत्य, चित्रकला आदि) में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं उपलब्धि (वर्षवार विद्यार्थियों के पूर्ण विवरण तथा प्रमाण–पत्र,फोटोग्राफ्स संलग्न करें)

क्र.	वर्ष	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विधा का नाम, जिसमें उपलब्धि अर्जित किया गया हो	अर्जित उपलब्धि का स्तर (राज्य/राष्ट्रीय स्तर)	विद्यार्थी का फोटोग्राफ्स	प्रमाण–पत्र संलग्न करें
1	2	3	4	5	6	7	8

10. विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन– विद्यार्थियों के कौशल का विकास एवं उन्नयन हेतु संस्था के पास संसाधन की उपलब्धता की जानकारी:– (फोटोग्राफ्स संलग्न करे)

क्र.	कौशल विकास का क्षेत्र	उपलब्ध संसाधन

11. शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर एवं विद्यार्थियों के व्यक्तिगत सामग्री :–
निम्नांकित सामग्रियों की अच्छी स्थिति में उपलब्धता

क्र.	सामग्री का नाम	संख्या
1	पलंग	
2	गद्दा	
3	चादर (ओढ़ने एवं बिछाने के लिए)	
4	तकिया एवं तकिया कव्हर	
5	कंबल	
6	मच्छरदानी	
7	कपड़ा रखने हेतु आलमारी	
8	स्टडी टेबल एवं कुर्सी	
9	टेबल लैंप	
10	आर–ओ वाटर सिस्टम	
11	सेनेटाईज्ड शौचालय	

(प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक–पृथक पलंग, गद्दा, ओढने एवं बिछाने के 02 चादर, एक तकिया, दो तकिया कव्हर, कंबल एवं मच्छरदानी, स्कूल ड्रेस (विंटर एवं समर अनुकूल हो) साथ ही योगा, व्यायाम एवं खेल कूद हेतु प्रतिवर्ष 02 जोड़ा ट्रैक सूट (टी–शर्ट, लोवर सहित) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सामग्री के रूप में कपड़े रखने के लिए 01 अलमीरा तथा पढने के लिए टेबल एवं कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए।)

Scanned with CamScanner

भाग– स (संस्था द्वारा ली जाने वाली शुल्क का विवरण)

क्र.	विवरण	शुल्क (राशि रूपए में)		
		6वीं से 8वीं	9वीं से 10वीं	11वीं से 12वीं
1	प्रवेश शुल्क			
2	शिक्षण शुल्क			
3	आवासीय सुविधा एवं मेस पर व्यय			
4	दो सेट स्कूल गणवेश			
5	दो सेट मोजे			
6	दो सेट जूते			
7	एक सेट चप्पल			
8	रात्रि कालीन गणवेश			
9	दो सेट ट्रैक सूट (टी–शर्ट, लोवर सहित)			
10	पुस्तके एवं स्टेशनरी			
11	अन्य समाग्री, जो भाग–ब के बिंदु क– 11 में निर्धारित सामग्री पर व्यय			
योग				

टीप :– अन्य शुल्क़ का भी विवरण देवें, जो एक सामान्य विद्यार्थी से लिए जाते है।

भाग –द (अमानत राशि)

आवेदक संस्था को रूपये 5.00 लाख का एफ.डी.आर. **आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर** के नाम से अमानत राशि जमा करना होगा। यह एफ.डी.आर. चयनित इम्पैनल्ड संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश होने एवं सफल संचालन पर अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात् वापसी योग्य होगा। शेष संस्थाए जिनका चयन एवं इम्पैनल्डमेंट नहीं हुआ है उनका एफ.डी.आर. ''रूचि की अभिव्यक्ति'' की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जावेगी।

एफ.डी.आर. का विवरण :–

क्र.	बैंक का नाम	क्रमांक	दिनांक

भाग–ई (घोषणा / सहमति पत्र)
संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि आवेदन पत्र के 'भाग–अ' के बिन्दु क्रमांक 01 से 09, 'भाग–ब' के बिन्दु क्रमांक 01 से 11, 'भाग–स' एवं 'भाग–द' में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं प्रस्तावित मुख्यमंत्री अनुसूचितजाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के संशोधित प्रावधानों एवं दिशा–निर्देश तथा शर्तो को स्वीकार करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर / मोहर
सहित

Scanned with CamScanner

जवाहर उत्कर्ष योजनान्तर्गत संस्थाओं के चयन हेतु मापदण्ड– वर्ष 2026–27

क्र	सुविधाओं का विवरण	मापदण्ड	अंक
1	संस्था का निजी भवन एवं छात्रावास	(1) संस्था का स्वयं का विद्यालय एवं छात्रावास भवन होना आवश्यक है। (2) संस्था में विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए मानक खेल मैदान, खेल सुविधा एवं समृद्ध तथा सुविधायुक्त पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। कम से कम 3 आउटडोर गेम हाकी, फुटबाल, रनिंग ट्रैक, बालीबॉल,लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, स्वीमिंग पुल की सुविधा चालू हालत में उपलब्ध हों। संस्था में कम से कम 3 इनडोर गेम एवं 3 आडटडोर गेम प्रशिक्षक नियमित रूप से उपलब्ध हो। (3) विद्यालय के पास छात्र/छात्राओं के लिए कम से कम 50–50 सीटर सुसज्जित एवं पर्याप्त सुविधायुक्त स्वयं का पृथक–पृथक मानक छात्रावास भवन होना चाहिए। प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर उपयुक्त छात्रावास भवन होना चाहिए। (4) 50 सीटर कन्या छात्रावास में न्यूनतम 01 महिला अधीक्षक,02 महिला सुरक्षा गार्ड एवं 03 महिला कर्मचारी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। (5) छात्रावास में विद्यार्थियों हेतु पर्याप्त शयन कक्ष, डायनिंग हॉल एवं शौचालय तथा स्नानागर होना आवश्यक है। (6) सी.सी.टी.वी., अग्निशमन एवं आपातकालीन व्यवस्था चालू हालत में हों। (7) भवन दिव्यांग के अनुकूल हों। (8) संस्था का संचालन कम से कम 5 वर्ष पुराना होना चाहिए व आवासीय/गैर आवासीय मिलाकर संस्था में न्यूनतम 500 बच्चे प्रवेशित हो।	15
2	संस्था का परीक्षा परिणाम	कक्षा 10 वीं का गत 03 वर्षो का एवं कक्षा 12 वीं का गत 03 वर्ष का परीक्षा परिणाम 80% से कम नही होना चाहिए। (i) 80% से 90% तक 05 अंक, 90% से 95% तक 07 अंक तथा 95% से 100% परीक्षा परिणाम होने पर 10 अंक दिया जाएगा। उत्तीर्ण में से 80% विद्यार्थी प्रथम स्थान आने पर संस्था को 10 अंक दिया जायेगा।	20
3	शयन व्यवस्था तथा फर्नीचर	प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक–पृथक पलंग, गद्दा, ओंढने एवं बिछाने के दो चादर, एक तकिया, दो तकिया कव्हर, कंबल एवं मच्छर दानी, स्कूल ड्रेस साथ ही योगा, व्यायाम एवं खेलकुद हेतु प्रतिवर्ष दो जोड़ा ट्रेक सूट (टी–शर्ट,लोवर सहित) उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सामग्री के रूप में कपडे रखने के लिए एक अलमीरा तथा पढने के लिए टेबल एवं कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए।	15

Scanned with CamScanner

4	कम्प्युटर व्यवस्था/डिजिटल क्लासेस	शाला में कम से कम 10 कम्प्युटर के साथ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो एवं विद्यार्थियों हेतु कम्प्युटर शिक्षण की व्यवस्था के साथ–साथ स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था हों	05
5	स्वास्थ्य सुविधा	विद्यार्थियों की स्वास्थय सुविधा हेतु डॉक्टर/चिकित्सालय से संस्था का अनुबंध होना चाहिए ।	05
6	विशेष कोंचिग कक्षाएं	विद्यार्थियों को पृथक से ट्युशन पढना न पड़े, इस हेतु इवनिंग क्लासेस के रूप में उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था हो ।	05
7	भोजन व्यवस्था	छात्र–छात्राओं को सुबह एवं शाम को नास्ता, जिसमें मौसमी फल एवं एक गिलास दूध का समावेश हो, अनिवार्यतः दिया जावे। दिन में दो बार भोजन, जिसमें दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, पनीर, अचार, सलाद, पापड़, एवं स्वीट्स आदि का समावेश हो, दिया जावें। भोजन विविधतायुक्त, सुरूचिपूर्ण, सुपाच्य एवं पौष्टिक होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि भोजन संबंधी सामग्री गुणवत्तापूर्ण हों।	10
8	फैकल्टी	CBSE/ICSE पाठ्यक्रमों मापदंड के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षित एवं विषय विशेषज्ञ हो। कैरियर /प्रोफेशनल काउंसिलिंग की सुविधा उपलब्ध हों, साथ ही पृथक से संगीत शिक्षक हो ।	10
9	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न गतिविधियों/परीक्षाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व/ भागीदारी	ओलंपियाड़, विज्ञान पहेली, JEE (मेन/एंडवास), NEET, C.A., CLAT आदि में विद्यार्थियों की सफलता हेतु संस्था मे कैरियर काउंसिलिंग प्रशिक्षण इत्यादि की व्यवस्था, तथा इन प्रतियोगिता में संस्था के विद्यार्थियों द्वारा किया गया प्रदर्शन।	05
10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सह–संज्ञानात्मक गतिविधियों में सहभागिता	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सह–संज्ञानात्मक गतिविधियों में छात्र–छात्राओं की सहभागिता तथा संस्था के विद्यार्थियों द्वारा किया किया गया प्रदर्शन।	05
11	विद्यार्थियों का कौशल उन्ययन	विद्यार्थियों का कौशल का विकास एवं उन्ययन हेतु संस्था के पास समुचित संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हों ।	05
12	संस्था का चयन हेतु विज्ञापन	नये संस्था हेतु आगामी वर्ष से विज्ञापन माह फरवरी तक जारी किये जा सकेगें। जिला स्तर पर प्रवीण्यता सूची 10 मार्च तक जारी किए जायेंगें एवं राज्य स्तर पर अंतिम प्रवीण्यता सूची 20 मार्च तक जारी किये जायेगें। प्रत्येक संस्था को अधिकतम 25 सीट मे प्रवेश दिया जा सकेगा।	–
13	संस्था का श्रेणीकरण	A-90% and above B-80% and above C-70% and above	–
14	प्रतिबंध/निरर्हता	लगातार 2 वर्ष प्रतिबंधित एवं निरर्हता से इम्पैनल्ड सूची से बाहर होने पर संस्था में प्रवेशित छात्र अन्य संस्था मे प्रवेश ले सकेंगे।	–
	योग		100

नोटः उपरोक्त सभी शर्ते योजना के मूल गाईडलाइन्स के अधीन होगी।

2.4.2026

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/01/ज.उ.यो./2026–27/88 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/04/2026

प्रति,

आयुक्त,
जनसंपर्क,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।

विषय :– मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के क्रियान्वयन के संबंध में वर्ष 2026–27 हेतु संस्थाओं के इम्पैनलमेंट के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित किये जाने बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2026–27 हेतु संस्थाओं के इम्पैनलमेंट के लिए "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से किया जाना है, इस हेतु विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

कृपया विज्ञापन को राज्य के **03 बहुप्रसारित समाचार पत्रों के समस्त संस्करणों** में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

पृ.क्र./01/ज.उ.यो./2026–27/89 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. **समस्त कलेक्टर,** जिला .... छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. **समस्त सहायक आयुक्त,** आदिवासी विकास जिला .... छ0ग0 को सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि "रूचि की अभिव्यक्ति" की सूचना जिलें के वेबसाईट में अपलोड कर तथा समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं भाग ले सके।
3. **श्री दिनेश ध्रुव,** सहायक प्रोग्रामर, आ.जा. तथा अनु.जा. वि. मुख्यालय, नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल संलग्न विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. **सहायक जनसम्पर्क अधिकारी,** मुख्यालय नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय सोशल मीडिया एकाउंट के माध्यम से इसका प्रचार–प्रसार करें।

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www. tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/01/ज.उ.यो./2026–27/87 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/04/2026

वर्ष 2026–27 के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थानों के इम्पैनलमेंट हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

––00––

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, नयी सोच के साथ बेहतर कॅरियर चयन का अवसर प्रदान करते हुए प्रतिस्पर्धी बनाना तथा बहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को कक्षा 6वीं से 12वी तक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उत्कृष्ट आवासीय विद्यालय में अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। चयनित उत्कृष्ट विद्यालय को विभाग द्वारा निर्धारित मान्य शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जावेगा। समस्त प्रस्ताव "रूचि की अभिव्यक्ति" के प्रारूप में संस्था जहां स्थित है, के जिलें के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला.......................... के कार्यालय में जमा करना होगा।

प्रस्ताव को जिला कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि– 23.04.2026 अपरान्ह 5.00 बजे तक

योजना अंतर्गत संस्थाओं के लिए मापदण्ड एवं विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट **www.tribal.cg.gov.in** से अवलोकन कर प्राप्त कर सकते है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner